संख्या: सीपी 2498/29-खा 8-2002-सीपी 1/87टीसी

प्रेषक,

श्री खंजन लाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग -8 लखनऊ :: दिनांक:: 25 सितम्बर, 2002

विषय: निबंधक, उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग को उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के कार्यालयों के लिए सृजित अराजपत्रित पदों का नियुक्ति प्राधिकारी बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

सरकारी अधिसूचना संख्या सीपी 367।1।/29-10-सीपी 8/88 दिनांक 20 सितम्बर, 1988 द्वारा निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण को उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, राज्य आयोग और विभिन्न जिला फोरमों के कार्यालयों के लिए तत्समय सृजित अराजपत्रित पदों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी घोषित किया गया था। सरकारी आदेश संख्या 922/29-10-सीपी 8/88 दिनांक 18 दिसम्बर, 1991 द्वारा निर्देशित किया गया था कि उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अधीन जिला फोरमों के कार्यालयों के लिए सृजित अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति, उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद ।सम्पूर्ति शाखा। लिपिकीय वर्ग नियमावली, 1979 तथा उत्तर प्रदेश चतुर्थ वर्ग सेवा नियमावली, 1975 के अधीन सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 6928/99 उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम जीत सिंह बिष्ट में दिनांक 10 जुलाई, 2002 को पारित अपने आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि उपर्युक्त अधिसूचना संख्या सीपी 367।1।/29-10-सीपी 8/88 दिनांक-20 सितम्बर, 1988 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24।बी। से असंगत है। उपर्युक्त याचिका में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त अधिसूचना एवं शासनादेश को अधिक्रमित करते हुए संविधान के अनुच्छेद - 309 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निबंधक, उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग को राज्य आयोग और विभिन्न जिला फोरमों के कार्यालयों के लिए सृजित अराजपत्रित पदों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी घोषित करते हैं।

भवदीय,

Kl 25/9/02
।खंजन लाल।
प्रमुख सचिव।

संख्या: सीपी 2498।1।/29-खा8-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

।1। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
।2। निबंधक, उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
।3। महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
।4। समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
।5। समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
।6। आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश ।
।7। खाद्य एवं रसद विभाग सचिव शाखा के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
।8। राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को प्रकाशन हेतु ।
।9। मुख्य लेखाधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
।10। गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

25.09.02
।नरेन्द्र कुमार चौधरी।
विशेष सचिव ।